संख्या-406/2020/1510/22-2-2019-17(105)/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रावराजा पुत्र श्री जरदान सिंह, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-20-11-2018 दिनांक 08-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रावराजा पुत्र श्री जरदान सिंह, लकारा, थाना-सीपरी बाजार, जनपद-झांसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुई हत्या को लेकर दिनांक 01.11.2006 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथियारों से गोलियां चला कर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2007 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 व धारा-25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.06.2018 तक 09 वर्ष, 11 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के विरूद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज होने, आपराधिक मानिसिक प्रवृत्ति का होने, भविष्य में अपराध करने एवं कराये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, परिवारीजनों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई से समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रावराजा (बन्दी संख्या-16994) पुत्र श्री जरदान सिंह, निवासी जनपद-झांसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-406/2020/1510(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in